बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सं0सं0–2 प्र0 HSRP 01/2017............

आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद संख्या–483/2013 (मनीन्दरजीत सिंह बिट्टा एवं अन्य बनाम विजय छिब्बर एवं अन्य) में दिनांक 13.07.2016 को पारित आदेश में दिये गये निदेशो में से एक निदेश High Security Registration Plate के खाली प्लेट के उत्पादन के लिये अन्य/अतिरिक्त उत्पादन इकाई स्थापित करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ दी गयी है–

1. "The record must be maintained by the manufacturer of HSRP as to the number of plates manufactured and made ready everday alongwith weekly and monthly statements".

2. " The testing agencies along with the team comprising of State level officer (not below the rank of RTO) and one expert as nominated by the Transport Commissioner of the respective State shall inspect the unit and certify the manufactured HSRP and manufactured HSRP shall leave the factory premises of the manufacturer only after being cleared by the testing agencies."

3. " The transport officials of the State Government shall ensure that manufacturing units are periodically inspected and ensure compliance of Rule 50 of the CMV Rules and also the terms and conditions of the Contract. Additionally the Central Government should form Committees in collaboration with the State Governments in order to keep regular check on the manufacturing units which are engaged in HSRP project. The manufacturing units must be periodically inspected by the Committee so constituted and report be sent to MoRTH and also to the Transport Commissioner of the concerned State highlighting the compliance or otherwise of Rule 50 of the CMV Rules, the terms and conditions of the contract and also any shortcomings noticed during inspection and suggestions by the team."

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त निदेश के आलोक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (MoRTH) ने अपने पत्रांक 11021/17/2013–MVL दिनांक 07.10.2016 द्वारा भी दिशा निदेश जारी किये है, एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य में HSRP के आपूर्तिकर्ता M/S Utsav Safety Private Limited in consortium with Linkpoint Infrastructure Private Limited, F-48, Mayapuri Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110064 द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें HSRP की आपूर्ति नया उत्पादन इकाई जिला– कामरूप, आसाम से करने की अनुमति माँगी गयी है।

6. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश के आलोक मे तथा MoRTH द्वारा जारी दिशा निदेश के अनुपालन में आपूर्तिकर्ता को Sila Senduri Ghopa, Chowki Gate, NH-31, Korai Bari, Changsari, Dist-Kamrup, Assam-31 स्थित उत्पादन इकाई से खाली HSRP प्लेटो की आपूर्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

(क) आपूर्तिकर्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(ख) आपूर्तिकर्ता के पास दो उत्पादन इकाई, जो क्रमशः– Plot no-3/A, phase-iv, Gowalthai Ind. Area, Dist-Bilaspur, Himachal Pradesh-01 एंव Sila Senduri Ghopa, Chowki Gate, NH-31, Korai Bari, Changsari, Dist-Kamrup, Assam-31 में स्थित है, से खाली प्लेट की आपूर्ति की अलग–अलग भंडार पंजी संधारित की जाएगी, तथा इसकी मासिक सूचना विभाग को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक समर्पित की जाएगी।

(ग) राज्य के किसी भी एक जिले में दोनो उत्पादन इकाई के खाली प्लेटो की आपूर्ति एक साथ नही की जाएगी और किस जिले में किस उत्पादन इकाई के खाली प्लेटो की आपूर्ति की गई है एतद् संबंधी मासिक सूचना क्रमशः संबंधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग, मुख्यालय को दी जाएगी।

(घ) आपूर्तिकर्ता द्वारा ARAI द्वारा निर्धारित समय–सीमा अथवा नियत संख्या में प्लेटों के उत्पादन के पश्चात् अद्यतन Technical Approved Certificate (TAC) एवं Confirmity Of Production (COP) भी समर्पित करना सुनिश्चित किया जाएगा। उपर्युक्त का अनुपालन नही होने की स्थिति में उल्लेखित उत्पादन इकाई से HSRP प्लेट की राज्य में आपूर्ति रोक दी जायेगी।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2 प्र0 HSRP 01/2017.......846 पटना, दिनांक–21/2/17

प्रतिलिपि–1. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. Utsav Safety Private Limited in consortium with Linkpoint Infrastructure Private Limited, F-48, Mayapuri Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110064 Email-info@utsavhsrp.com एवं राज्य कार्यालय 258, 1st Floor, Shivpuri, Udan Tola, Beur Road, Anisabad, Patna-800002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. The Automotive Research Association of India, s.no-102, Vetal Hill, off Paud Road, Kothrud, Pune, Maharashtra, को सूचनार्थ।

5. माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त।